

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान-जयपुर
क्रमांक प्रशिक्षण/जीएनएम/20 10/ 565

दिनांक 22. 3. 10

1. अधीक्षक

संलग्न चिकित्सालय संघ

जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/

अजमेर/उदयपुर/ कोटा

2. प्रमुखा चिकित्साधिकारी

अलवर/सीकर /भारतपुर/भीलवाडा /

गंगानगर / बांसवाडा/पाली/

बाडमेर/जालौर

विषयः-जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण
केन्द्रों की आई.एन.सी. से मान्यता बाबत

उपर्युक्त विषयान्तर्गत तत्काल अवगत कराई कि आपके अधीन संचालित जी०एन०एम० स्कूल को आई०एन०सी० से मान्यता है या नहीं ? यदि नहीं तो मान्यता बहाली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ? आई०एन०सी० द्वारा मान्यता किन-किन कमियों के कारण निरस्त हुई है और इन कमियों की पूर्ति हेतु वर्तमान स्थिति क्या है ?

उपर्युक्त सूचना दिनांक: 23. 03. 10 को प्रातः 11 बजे तक फैक्स न०-0141-2222683 पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।



अति० निदेशक, प्रशिक्षण

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राज०जयपुर ।